કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ
(શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય, ભારત સરકાર)
कर्मचारी राज्य वीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Email : ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C

सत्यमेव जयते

ક.રા.બી.નિ હોસ્પિટલ, અંકલેશ્વર,
પ્લોટ નં.H3012, 500 કવાટર પાસે,
અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लाट स. H3012,
500 क्वाटर के पास, अकलेश्वर, जी.भरूच
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500 Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch
Website : www.esic.gov.in

375/अ/49/2025/क.रा.बी.नि./अंक/रा.भा./जाँचबिन्दु 23-04-2025

परिपत्र

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जांच बिंदुओं का अनुपालन

सभी शाखा अधिकारियों एवं शाखाओं को सूचित किया जाता है कि राजभाषा का प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को राजभाषा अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सौंपा हैं। सरकार की राजभाषा नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने जाँच बिन्दु स्थापित किए हैं जिनकी सूची निगम मुख्यालय द्वारा परिचालित की गई है। उक्त सूची इसके साथ संलग्न है। अनुरोध है कि सभी स्तरों पर इन जाँच बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न : यथोपरि।

Digitally signed by
KUMAR KUNJAN
Date: 23-04-2025
10:23:49
(कुमार कुंजन)
राजभाषा प्रभारी

सेवा में,

1. सभी शाखा अधिकारियों एवं शाखाओं को सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि :
संयुक्त निदेशक (राजभाषा),कर्मचारी राज्य बीमा निगम,मुख्यालय,नई दिल्ली को सूचनार्थ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, अंकलेश्वर
राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जाँच बिंदु

क्र.सं.	मद	उत्तरदायी
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात जैसे परिपत्र,आदेश आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / सभी शाखाएँ
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / सभी शाखाएँ
3.	लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखना	सभी शाखाधिकारी / जारीकर्ता अधिकारी तथा प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा के अधिकारी
4.	सभी पत्रशीर्ष द्विभाषी रूप में तैयार/ प्रयोग करना	सभी शाखाधिकारी / हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
5.	रजिस्टरों एवं सेवा पुस्तिकाओं/सेवा अभिलेख के शीर्ष द्विभाषी होना तथा उनमें प्रविष्टियाँ हिन्दी में किया जाना	प्रशासन शाखा के अधिकारी / लेखा अधिकारी
6.	रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में बनाना	सामान्य शाखा के अधिकारी / संबंधित शाखाधिकारी
7.	'क'तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि अनिवार्यतः हिन्दी में जारी करना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / संबंधित शाखा
8.	द्विभाषी कम्प्यूटरों/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद/व्यवस्था	सामान्य शाखा के अधिकारी / खरीद अधिकारी
9.	हिन्दी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी भाषा में ही दिया जाना	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / संबंधित शाखा
10.	सभी विभागीय बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करना तथा बैठक की कार्रवाइयाँ हिन्दी भाषा में संचालित करना	बैठक अध्यक्ष / हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी / संबंधित शाखाधिकारी / शाखाएँ
11.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा हिन्दी में कार्य-निष्पादन	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष , सदस्य सचिव तथा सभी सदस्य
12.	सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सहित हिन्दी का उपयुक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना तथा ई-मेल हिन्दी में किया जाना	प्रणाली शाखा के अधिकारी तथा सभी ई-मेल जारीकर्ता अधिकारी / शाखाएँ
13.	कार्यालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मुद्रित/साइक्लोस्टाइल फार्म एवं मानक मसौदों को द्विभाषी रूप में ही मुद्रित तथा प्रकाशित करवाया जाना	सामान्य शाखा के अधिकारी / संबंधित प्रयोगकर्ता अधिकारी / शाखाधिकारी
14.	विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली कुल राशि में से न्यूनतम 50% राशि का व्यय अनिवार्यतः हिन्दी विज्ञापनों पर किया जाना	जनसंपर्क शाखाधिकारी / संबंधित शाखाधिकारी
15.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण तथा वेबसाइट पर सामग्री (पत्र-व्यवहार आदि) द्विभाषी रूप में ही अपलोड किया जाना	वेबसाइट सामग्री प्रबंधक तथा पत्र आदि जारीकर्ता अधिकारी / शाखा
16.	अनुपालन के संबंध में प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व (राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना/करवाना	कार्यालय अध्यक्ष
17.	सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुपालन	विनिर्दिष्ट शाखाओं के अधिकारी / विनिर्दिष्ट शाखाएँ
18.	उपस्थिति पंजिका में कार्मिकों के नाम तथा हस्ताक्षर हिन्दी में होना	सभी शाखाधिकारी / सभी कार्मिक

(कुमार कुंजन)
राजभाषा प्रभारी